न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 14/2019
दायर दिनांक :- 27.12.2019
निर्णय दिनांक :- 23.03.2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. कालूराम उर्फ कालूलाल पिता लेहरू जाट, नि.- रावतिया तहसील- भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		1. तहसीलदार भूपालसागर

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :- श्री रतनलाल कुमावत वकील प्रार्थी
- श्री तहसीलदार भूपालसागर

* निर्णय *

वकील प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 का इन्द्राज दुरुस्ती बाबत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :-

(1) यह है कि प्रार्थी की कृषि आराजियात ग्राम रावतिया के पैमाईश पूर्व संवत 2012 के आ० न० 190 रकबा 02-17 बीघा होकर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी जिसे भू- प्रबंध अधिकारी ने भूलवश नक्शे एवं रेकर्ड में पैमाईश के दौरान नवीन आ० न० 449 रकबा 02-15 बीघा कर दी अर्थात रकबे में 02 बिस्वा की कमी कर दी। प्रार्थी पूर्ण भूमि पर वर्तमान में काबिज काश्त है एवं हजारी के दत्तक पुत्र प्रार्थी के पिता लेहरू जी है जिससे उक्त कृषि आराजियात कब्जे-काश्त एवं उपयोग- उपभोग में प्रार्थी के पास विरासतन है।

(2) यह है कि उक्त [illegible] 2040 में भू- प्रबंध अधिकारी ने भूलवश नवीन [illegible] रकबा 0.58 हैक्ट० कर दिया जो कि 5 आरी की कमी है जबकि [illegible] रकबा 02-17 बीघा था। इस प्रकार दोनों भू- प्रबन्ध कार्य के [illegible] प्रार्थी के रकबे में 5 आरी की कमी है जबकि वर्तमान में प्रार्थी के पास मौके कब्जे- काश्त में रकबा

— लगातार —

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.)
23.3.21

वकील वादी/प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.24 11:25:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

0.63 हैक्ट० पर दादा व पिता के समय से ही कब्जा-काश्त है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के रकबे में भू-प्रबंध कार्यों के दौरान हुई रकबा त्रुटि को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अत: प्रार्थी के रकबे में दोनों भू-प्रबंध कार्यों के दौरान हुई त्रुटि कमी रकबे 0.05 हैक्ट० की पूर्ति कर रकबा 0.63 हैक्ट० कुलिया किये जाने एवं नक्शा पैमाईश पूर्वानुसार किये जाने हेतु प्रार्थी ने निवेदन किया है।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार भूपालसागर को सम्मन जारी किया गया एवं तहसीलदार भूपालसागर द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसमें बताया कि संवत 2012 की पैमाईश आ०नं० 190 से वक्त पैमाईश नये नम्बर आ०नं० 449 रकबा 02-15 बीघा बनना सिद्ध नही होता है। यह है कि हाल आ०नं० 892 रकबा 0.58 हैक्ट० है जिसमें प्रार्थी द्वारा रकबा 0.05 हैक्ट० कम होना बताया है जबकि हाल आ०नं० 892 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आ०नं० 449 से बना है। आ०नं० 449 रकबा 02-15 बीघा के मैट्रिक प्रणाली में क्षेत्रफल 0.58 हैक्ट० बनता है जो हाल आ०नं० 892 का है। अत: साबिक के मुकाबले हाल आ०नं० के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नही हुआ है। तहसीलदार भूपालसागर ने अपने जवाब में बताया कि प्रकरण में किसी प्रकार का रेकर्ड दुरुस्ती का मामला नही बनता है। साबिक आ०नं० 449 रकबा 02-15 बीघा के मुकाबले हाल आ०नं० 892 रकबा 0.58 हैक्ट० सही है अत: वादी का वाद आधारहीन होकर खारिज योग्य है।

हमने तहसीलदार भूपालसागर के जवाब प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी। उभय पक्ष बहस, तहसीलदार भूपालसागर के जवाब प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

23.3.21

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.24 11:25:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner